भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *178
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

## लंबित मामलों का निपटान

***178. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा द्वारा दिए गए इस सुझाव पर ध्यान दिया है कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्यायालयों को वर्ष के सभी 365 दिन कार्य करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का न्यायालयों की संख्या और उनके कामकाज में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित संस्थाओं/संगठनों से परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

********

**"लंबित मामलों का निपटान" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *178, जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) और (ख) :** सरकार, न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा द्वारा दिए गए सुझाव के प्रति जागरूक है कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों को वर्ष के सभी 365 दिन काम करना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय (डीआरपीएससी) पर राज्य सभा विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने "न्यायिक प्रक्रियाएं और उनका सुधार" विषय पर अपनी 133वीं रिपोर्ट में "उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अवकाश" विषय की परीक्षा करते समय न्यायालय अवकाश पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री आर.एम. लोढ़ा के सुझाव को निर्दिष्ट किया था कि सभी न्यायाधीशों को एक ही समय पर अवकाश पर जाने के बजाय, प्रत्येक न्यायाधीश को वर्ष भर में अलग-अलग समय पर अवकाश लेना चाहिए, ताकि न्यायालय निरंतर खुले रहें और वे मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा उपस्थित रहें। इस समिति ने यह राय दी थी कि न्यायपालिका को न्यायालय अवकाश पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री आर.एम. लोढ़ा के इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। तदनुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य सभा डीआरपीएससी की सिफारिश को सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के महासचिव और संबंधित उच्च न्यायालयों के सभी महारजिस्ट्रारों को समुचित विचार-विमर्श के लिए अग्रेषित किया गया था।

भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, जिसमें इसकी बैठकें और छुट्टियां, आदि सम्मिलित हैं। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने 'उच्चतम न्यायालय नियम, 2013' तैयार किए हैं, जिन्हें 27.05.2014 को अधिसूचित किया गया था। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के भाग I के आदेश II में उच्चतम न्यायालय की बैठकों, ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि और न्यायालय की छुट्टियों की संख्या और साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान माननीय न्यायाधीशों की न्यायपीठों का उपबंध है।

इसी प्रकार, उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं जिसमें बैठके और छुट्टियां सम्मिलित हैं।

**(ग) और (घ) :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायामूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करें। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय - एक नयी दृष्टि" शीर्ष वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय की न्यायपीठ, करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों, को दोहराया था । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदरापश्चात्, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार कैसेशन न्यायपीठ स्थापित की जाएं। यह मामला भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को निर्दिष्ट किया गया, जिन्होंने बताया कि 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं पाया। राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दे को आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को संदर्भित करना उचित समझा। मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

उच्च न्यायालय की न्यायपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यूपी(सी) संख्या 379/2000 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और आधारिक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिसे उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन की देखभाल करनी होती है के पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । प्रस्ताव पूर्ण होने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी आवश्यक है। वर्तमान में सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

जिला और अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायालयों की स्थापना करना, संबंधित उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

********